भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2927

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों का विद्युतीकरण

2927. श्री तापिर गावः

डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कितने घरों में अब तक बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) विद्युतीकरण का आम जनता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या अवसर प्राप्त होंगे; और

(ग) वन क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को विद्युत आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, भारत सरकार, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। 1,29,269 छूटे हुए पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए 516 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं)। अब तक, पीएम-जनमन के तहत 91,194 पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत, 9,863 पीवीटीजी घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 49 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न हैं)।

(ख) : विद्युतीकरण का आम जनता पर कई तरह से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। घरों को विद्युतीकृत करने से, खास तौर पर दूरदराज और आदिवासी इलाकों में, व्यापार और रोजगार के अवसरों, शैक्षिक उपलब्धियों और कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, दूरदराज के इलाकों सहित गांवों को विद्युतीकृत करने से राज्य की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि होती है, जो बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है।

(ग) : भारत सरकार सभी पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। चूंकि अधिकांश छूटे हुए क्षेत्र दूरदराज, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में थे, इसलिए आरडीएसएस के तहत विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई और विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई। गैर-विद्युतीकृत पीवीटीजी घरों को चिन्हित करने के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा गहन सर्वेक्षण किया गया है और इन घरों के लिए आरडीएसएस के तहत मिशन मोड में विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। जहां भी संशोधित मानदंडों के अनुसार संभव पाया गया, वहां आरडीएसएस के तहत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं और शेष क्षेत्रों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, संस्वीकृत कार्यों के लिए नियमित निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके और कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 2927

अनुबंध-I

आरडीएसएस के तहत पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए)	संस्वीकृत घरों की संख्या	अब तक विद्युतीकृत घरों की संख्या
	आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत			
1	आंध्र प्रदेश	89	25,054	24,327
2	बिहार	0.28	51	0
3	छत्तीसगढ़	38	7,077	4,323
4	झारखंड	74	12,442	62
5	मध्य प्रदेश	143	29,290	9,445
6	महाराष्ट्र	27	8,556	9,216
7	राजस्थान	40	17,633	15,667
8	कर्नाटक	4	1,615	921
9	केरल	1	345	309
10	तमिलनाडु	30	10,673	4,851
11	तेलंगाना	7	3,884	3,884
12	त्रिपुरा	62	11,664	6,001
13	उत्तराखंड	1	669	669
14	उत्तर प्रदेश	1	316	195
	उप योग	**516**	**1,29,269**	**79,870**
	राज्य योजना के अंतर्गत			
1	गुजरात	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	1,326
3	पश्चिम बंगाल	0	0	3,372
	उप योग	**0**	**0**	**11,324**
	कुल	**516**	**1,29,269**	**91,194**

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 2927

अनुबंध-II

नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत संस्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,675
2	छत्तीसगढ़	1,578
3	झारखंड	2,342
4	कर्नाटक	179
5	मध्य प्रदेश	2,060
6	तेलंगाना	326
7	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,863**

****